


उत्तराखण्ड सरकार
अर्थ एवं संख्या निदेशालय
संख्या: 664 / 3-ले0 / सं0वा0 / 2020-21
दिनांक: देहरादून: अगस्त 11, 2021

पुनः निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशालय के पत्र संख्या-440/3-ले0/संविदा वाहन/2020-21 दिनांक 17 जुलाई 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लेने हेतु निविदायें आमंत्रित की गई थी। निर्धारित तिथि तक मात्र 01 निविदा प्राप्त होने के कारण आमंत्रित निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रण की जाती है। निविदाओं को दिनांक 25.08.2021 को सायं 2.00 बजे तक जमा किया जायेगा तथा उसी दिन सायं 4.00 बजे निविदाओं को खोला जायेगा। आमंत्रित निविदाओं से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.des.uk.gov.in से देखी जा सकती है। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेगी।


(अमित पुनेठा)
उप निदेशक
कृते निदेशक।

निविदा संख्या: /3-ले0/संविदा वाहन/2020-21 दिनांक: अगस्त ,2021

किराये के वाहन उपलब्ध कराने सम्बन्धी निविदा प्रपत्र

क0सं0.....

विक्रय दिनांक:.....

फर्म का नाम (जिसे जारी किया गया)

निविदा मूल्य-₹500/-
(Non Refundable)

.....
.....

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा 20 सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन अधिष्ठान, देहरादून में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के कार्यालय प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों को मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये पर लेने की आवश्यकता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 अथवा आगामी निविदा तिथि तक के लिए देहरादून के अनुभवी व इस प्रकार की सेवा हेतु सेवाकर में पंजीकृत ट्रेवल एजेन्सियों/फर्मों से मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के दो भाग होंगे:-तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा।

1- निविदाताओं की आर्हता, अनुभव तथा धरोहर राशि आदि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तकनीकी निविदा के स्वच्छ एवं पूर्ण रूप से तैयार विवरण (प्रपत्र-1) के साथ एक लिफाफे में रखे जायेंगे, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में "तकनीकी निविदा" एवं ट्रेवल एजेन्सी/फर्म का नाम अंकित होगा। धरोहर राशि के रूप में ₹ 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र की राशि अर्थ एवं संख्याधिकारी (डी0डी0ओ0) अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, एफ0डी0आर0 या बैंक गारंटी के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा, जो निविदा खुलने के दिनांक से अगले 45 दिन तक वैध हो।

2- वित्तीय निविदा में केवल प्रपत्र-2 पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों हेतु किराये की दरें अंकित की जायेंगी। इस प्रपत्र को एक अन्य लिफाफे में रखा जायेगा, जिसके बाहर स्पष्ट अक्षरों में "वित्तीय निविदा" लिखा जायेगा।

3- तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में रखा जायेगा, जिस पर "किराये के वाहनों हेतु निविदा" तथा निविदादाता का नाम लिखा जायेगा और जो मोहरबंद होगा।

निविदा दिनांक: 25.08.2021 (सायं 2.00 बजे तक) तक अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में पंजीकृत डाक/स्पीड-पोस्ट द्वारा उपलब्ध करायी जा सकेगी तथा इसी तिथि को सायं 4.00 बजे निविदायें समिति द्वारा उपस्थित निविदाताओं/विभागीय कमेटी के सदस्यों के समक्ष खोली जायेंगी। परन्तु पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त होने वाली निविदाओं में डाक व्यवस्था के कारण हुए विलम्ब हेतु कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

1. निविदादाता को किराये की टैक्सी उपलब्ध करवाने सम्बन्धी सेवा हेतु आर0टी0ओ0 व सेवाकर कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए, जिसका प्रमाण उसे देना होगा।
2. निविदादाता को सरकारी विभाग में न्यूनतम 02 वर्षों का संतोषजनक कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, जिसका प्रमाण उसे देना होगा।
3. ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व/हिस्सेदारी में डीजल/पेट्रोल चलित न्यूनतम 03 वाहन (वेगन आर/डिजायर /आरटिगा) टैक्सी परमिट पर पंजीकृत होना आवश्यक है, जिनका मेक मॉडल वर्ष 2018 अथवा उसके बाद का होना चाहिए तथा सम्बन्धित वाहनों की तकनीकी वैधता अवधि कालातीत नहीं होना चाहिए।
4. निविदादाता ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 10 लाख होना चाहिए तथा इन वर्षों में फर्म घाटे में नहीं रही हो (कम से कम दो वर्षों की सी0ए0 बैलेंस शीट संलग्न होनी चाहिए)

वाहनों की मांग एवं आपूर्ति-

मासिक आधार पर आपूर्ति किये जाने वाला कोई भी वाहन वर्ष 2018 से पूर्व का मेक-मॉडल/निर्मित नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त समय-समय पर अन्य वाहनों की भी उत्तराखण्ड राज्य एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली हेतु आवश्यकता पड़ सकती है। चयनित एजेन्सी द्वारा निविदा स्वीकृत आदेश के जारी होने की तिथि से समय-समय पर मांग के अनुसार मुख्यालय तथा उपर्युक्त स्थलों पर वाहनों की आपूर्ति की जायेगी।

सफल निविदादाता/निविदादाताओं को कार्यालय की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध करवाने हेतु अर्थ एवं संख्या निदेशालय के कार्यालय के साथ अनुबंध हस्ताक्षरित करना होगा। अनुबंध की अवधि प्रारम्भिक तौर पर 31 मार्च, 2022 अथवा आगामी निविदा तिथि तक मान्य रहेगी। निदेशालय की आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध न करवाये जाने की स्थिति में सफल निविदादाता से किया गया अनुबंध समाप्त किया जायेगा और उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

चयन प्रक्रिया

निविदा हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा प्राप्त तकनीकी निविदाओं का परीक्षण किया जायेगा। केवल तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं को ही इस हेतु निर्धारित तिथि व समय पर समिति द्वारा खोला जायेगा।

वित्तीय निविदा में प्रति वाहन मूल दर तथा कर आदि अलग-अलग स्पष्ट प्रदर्शित की जायेगी। डीजल/पेट्रोल चलित वाहनों के प्रकार के अनुसार ए0सी0, पहाड़/मैदान, दूरी (कि0मी0) प्रतिदिन, कार्य घण्टे/अवधि आदि मानकों को ध्यान में रखते हुए दरें प्रपत्र-2 में अंकित की जाय।

तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदाओं की तुलनात्मक विवरण के आधार पर जिस निविदादाता की दरें सबसे कम होंगी, उसे सफल घोषित किया जायेगा। मासिक आधार पर व दैनिक आधार पर अथवा अलग-अलग प्रकार के वाहनों के आधार पर एक से अधिक निविदादाताओं को भी चयनित किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धितों को कार्यालय द्वारा सूचित कर दिया जायेगा व अनुबन्ध किये जाने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। चयनित निविदादाता के निर्धारित समय तक अनुबंध हेतु उपस्थित न होने पर उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व अगले निविदादाता को अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। अन्तिम रूप से न्यूनतम दरों के लिए नेगोसियेशन भी किया जा सकेगा।

जमानत राशि (Security Money)–

सफल निविदादाता को स्वीकृति आदेश जारी होने के 10 दिन के अंदर राशि के रूप में ₹ 5000/– (रूपये पाँच हजार) मात्र की राशि अर्थ एवं संख्याधिकारी (डी0डी0ओ0) अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून के नाम एफ0डी0आर0 अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करना आवश्यक होगा, जो कि अनुबंध किये जाने के पश्चात कम से कम 18 माह की अवधि तक वैध हो, जमानत राशि अनुबंध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायेगी।

भुगतान–भुगतान के लिए निम्न व्यवस्था रहेगी:–

1. किराये का भुगतान बिल प्रस्तुत करने के 1 (एक) माह के अंतराल में किया जायेगा।
2. मासिक आधार पर लिये गये वाहन हेतु– लॉग बुक में प्रविष्टियां सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा सत्यापित की जायेगी। तत्पश्चात् बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
3. दैनिक आधार अथवा बाह्य यात्रा पर लगे वाहन हेतु– बिल के साथ यात्रा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम, यात्रा प्रारम्भ का स्थान, यात्रा प्रारम्भ का मीटर रीडिंग गन्तव्य स्थान से वापसी का दिनांक व स्थान, यात्रा समाप्ति का मीटर रीडिंग तथा कुल तय की गई दूरी, यात्रा उद्देश्य आदि का विवरण संलग्न करना होगा।
4. वाहन का भुगतान अनुमोदित दर तथा डीजल/पेट्रोल की देयता खपत दर के आधार पर किया जायेगा।
5. भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून का निर्णय अंतिम होगा।

निविदा की अन्य नियम एवं शर्तें—

प्रश्नगत निविदा के क्रम में निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के सम्बन्ध में निम्नांकित **नियम एवं शर्तें** लागू होंगी, जिनकी पुष्टि में साक्ष्य संलग्न करना आवश्यक होगा:—

1— निविदादाता की पृथक से कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। नियम एवं शर्तों के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

2— ट्रेवल एजेन्सी/फर्म का सेवा पंजीकरण, पैन/टिन नं० आयकर रिटर्न की विगत दो वित्तीय वर्षों की प्रति एवं वाहनों के सम्बन्ध में सम्भागीय परिवहन अधिकारी से पंजीकरण प्रपत्रों (फिटनेस तथा वाहन बीमा) की प्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी होगी। साथ ही निविदादाता को विगत 02 वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र एवं इस अवधि में विभिन्न राजकीय विभागों किये गये कार्य के सापेक्ष संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3— ट्रेवल एजेन्सी/फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व/हिस्सेदारी में न्यूनतम 03 टैक्सी वाहन पंजीकृत होना आवश्यक होगा, सम्बन्धित वाहन की तकनीकी वैधता अवधि कालातित नहीं होनी चाहिए। मासिक आधार पर वर्ष 2018 या उसके बाद के वाहन उपलब्ध करवाने हेतु शेष आवश्यकता हेतु सफल निविदादाता को अन्य वाहनों स्वामियों के साथ रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित कर अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराना होगा। वाहन स्वामी एवं ट्रेवल एजेन्सी के मध्य निष्पादि अनुबंध के क्रम में भविष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून उत्तरदायी नहीं होगा।

4— ट्रेवल एजेन्सी/फर्म का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह आपूर्ति किये जा रहे वाहनों के पंजीकरण/करों की देयता इत्यादि औपचारिकतायें आपूर्ति से पूर्व सुनिश्चित कर लें एवं तद्आशय का प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाए। आपूर्ति किये जाने वाले समस्त वाहन परिवहन विभाग से टैक्सी श्रेणी में पंजीकृत होने चाहिए।

5— उत्तराखण्ड राज्य की सीमाओं के भीतर रोपित किये जाने वाले समस्त करों एवं अन्य वैधानिक देयताओं हेतु सेवा प्रदाता ट्रेवल एजेन्सी/फर्म उत्तरदायी होगी।

6— चालक का मानदेय, वाहन का रखरखाव एवं वाहन की आपूर्ति से सम्बन्धित अन्य प्रकार के आकस्मिक व्यय, यदि कोई हो, को सम्बन्धित ट्रेवल एजेन्सी/फर्म द्वारा वहन करना होगा। चालक का कार्य व व्यवहार शिष्ट होना चाहिए। ड्राइविंग करते समय धूम्रपान, गुटखा खाने तथा मोबाईल सुनने की अनुमति नहीं होगी।

7— प्रदेश के बाहर की यात्राओं हेतु सम्बन्धित ट्रेवल एजेन्सी/फर्म को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की यात्राओं में प्रदेश के बाहर देय करों तथा टोल टैक्स का भुगतान सेवा-प्रदाता के द्वारा बिल के साथ सम्बन्धित रसीदें प्रस्तुत करने पर भुगतान अर्थ एवं संख्या निदेशालय देहरादून द्वारा किया जायेगा।

8— सामान्यतः मांग के अनुसार वाहन की कार्य करने की अवधि 10 घंटे होगी जो प्रातः 9.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक नियत होगी यद्यपि उक्त समय सीमा का निर्धारण निदेशालय स्तर पर किया जायेगा, जो सफल निविदादाता ट्रेवल एजेन्सी/फर्म पर बाध्यकारी होगा।

9— मासिक आधार पर लिये जाने वाले वाहनों को प्रत्येक माह में एक दिवस (रविवार अथवा कार्यालय अवकाश) वाहन की सर्विसिंग/मरम्मत कराये जाने हेतु अनुमन्य होगा। किन्तु विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु अवकाश के दिनों में भी मासिक आधार पर लिये गये वाहनों को बुलाया जा सकता है, जिसके लिए निर्धारित समय पर वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

10— मासिक आधार पर लिये गये वाहन की प्रत्येक अनुपस्थिति दिवस हेतु माह के बीजक से मासिक किराया दर से अनुपातिक कटौती करते हुए ₹ 500 प्रतिदिन की पेनाल्टी की भी कटौती की जायेगी।

11— मासिक आधार पर अनुबंधित किये गये वाहन का किराया वित्तीय बिड में अंकित न्यूनतम दर के अनुरूप ही रहेगा चाहे वह वाहन कुछ दिनों मुख्यालय की बाहर की यात्राओं पर भी गया हो।

12— यात्रा के मध्य वाहन के परिचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान होने पर फर्म को 01 घण्टे के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में उस यात्रा का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ट्रेवल एजेन्सी/फर्म/सेवा-प्रदाता के बिल में से उतनी राशि की कटौती कर ली जायेगी जितनी राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को यात्रा पूरी करने हेतु करना पड़ा हो।

13— सेवा प्रदाता के वाहन चालकों के पास पर्वतीय क्षेत्रों में वाहन चलाने का पर्याप्त अनुभव व ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक होगा। वाहन चालकों को अनिवार्य रूप से मोबाईल फोन रखना होगा, जिसका रख-रखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ट्रेवल एजेन्सी/फर्म स्वामी का होगा।

14— वाहनों के संचालन की गणना निदेशालय के कार्यालय अथवा यात्रा करने वाले अधिकारी के आवास से की जायेगी एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक एवं अन्तिम मीटर रीडिंग का अंकन रनिंग रजिस्टर में करते हुए सत्यापन किया जायेगा। वाहन द्वारा गैराज से अधिकारी के आवास अथवा वापसी में एक ओर की यात्रा हेतु वास्तविक दूरी अथवा 5 किमी जो भी कम हो की दूरी अनुमन्य होगी। वाहन चालकों को वाहन के रख-रखाव, साज-सज्जा, सफाई, अनुशासन, आज्ञापालन एवं समयबद्धता का विशेष पालन करना होगा। वाहन चालक के किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान निदेशालय द्वारा नहीं किया जायेगा।

15— कार व टैक्सी का चालक किसी भी अधिकारी व कार्मिक से यात्रा अवधि में किसी भी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेगा।

- 16- निदेशालय के मुख्यालय से बाहर जाने पर चालक की समस्त रात्रि व्यवस्था सम्बन्धित फर्म ही करेगी।
- 17- वाहन चालकों को ड्यूटी अवधि में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित वर्दी धारण करनी होगी।
- 18- अनुबन्धित फर्म के द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन के साथ वाहन से सम्बन्धित सभी वैधानिक कागजात वाहन में रखने अनिवार्य होंगे।
- 19- वाहन चालक के बीमा तथा अन्य वैधानिक देयताओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ट्रेवल एजेन्सी/फर्म स्वामी की होगी।
- 20- निदेशक, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

प्रपत्र-1: तकनीकी निविदा का प्रपत्र

निविदा संख्या: /3-ले0/संविदा वाहन/2020-21 दिनांक:जुलाई ,2021

1. निविदा की तिथि.....
2. सेवाकर कार्यालय से प्राप्त पंजीकरण संख्या (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
.....
3. पैन/टिन संख्या (गत 02 वर्षों के आयकर रिटर्न संलग्न करें)
.....
4. स्वयं के स्वामित्व/हिस्सेदारी में उपलब्ध वाहनों का विवरण:-

वाहन की पंजीकरण संख्या	प्रकार	डीजल/पेट्रोल	मेक मॉडल वर्ष	स्वामित्व (स्वयं/हिस्सेदारी)	बीमा की वैध तिथि	तकनीकी फिटनेस की वैध तिथि

नोट:- पंजीकरण, बीमा तथा फिटनेस के प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5. सरकारी विभागों में कार्य करने का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....वर्ष
6. वार्षिक टर्नओवर

वर्ष	टर्नओवर (रूपये में)	बैलेंस शीट की प्रति संलग्न(हां/नहीं)
2018-19		
2019-20		
2020-21		

7. धरोहर राशि का विवरण
8. कोई शर्त, यदि हो तो.....
.....

(हस्ताक्षर एवं मोहर)

नोट:- विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र की स्थिति में ₹500/- निविदा शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट अर्थ एवं संख्याधिकारी (डी0डी0ओ0) अर्थ एवं संख्या निदेशालय, देहरादून के नाम से बनाकर निविदा प्रस्तुत करते समय जमा करना होगा।

प्रपत्र-2: वित्तीय निविदा का प्रपत्र

निविदा संख्या: /3-ले0/संविदा वाहन/2020-21 दिनांक:जुलाई ,2021

1. निविदा की तिथि.....
2. किराये की दरें (डीजल वाहन हेतु)

क्र० सं०	वाहन	यात्रा का प्रकार	मासिक किराया /दर	औसत किमी० /ली०	दैनिक किराया / दर (05 घण्टे-50 किमी)	दैनिक किराया / दर (10 घण्टे-100 किमी)	दर अतिरिक्त किमी हेतु	दर अतिरिक्त घण्टे हेतु
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	वैगन आर/सेलेरियो	AC-Hills						
		AC-Plains						
2-	डिजायर/ अमेज	AC-Hills						
		AC-Plains						
3-	आरटिगा	AC-Hills						
		AC-Plains						
4-	बुलोरो/टीयूवी	AC-Hills						
		AC-Plains						
5-	इनोवा क्रिस्टा	AC-Hills						
		AC-Plains						
6-	होण्डा सिटी	AC-Hills						
		AC-Plains						

(हस्ताक्षर एवं मोहर)

3-किराये की दरें (पेट्रोल वाहन हेतु)

क्र० सं०	वाहन	यात्रा का प्रकार	मासिक किराया /दर	औसत किमी० / ली०	दैनिक किराया / दर (०५ घण्टे-५० किमी)	दैनिक किराया / दर (१० घण्टे-१०० किमी)	दर अतिरिक्त किमी हेतु	दर अतिरिक्त घण्टे हेतु
1	2	3	4		5	6	7	8
1-	वैगनआर / सेलेरियो	AC-Hills						
		AC-Plains						
2-	डिजायर / अमेज	AC-Hills						
		AC-Plains						
3-	आरटिगा	AC-Hills						
		AC-Plains						
4-	बुलोरो / टीयूवी	AC-Hills						
		AC-Plains						
5-	इनोवा क्रिस्टा	AC-Hills						
		AC-Plains						
6-	होण्डा सिटी	AC-Hills						
		AC-Plains						

(हस्ताक्षर एवं मोहर)